

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 173]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 अप्रैल 2013—चैत्र 28, शक 1935

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्र. एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-02.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24 सितम्बर 2011 में श्रम विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
श्रम विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		शहरी क्षेत्र				
		(अ) जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ हैं वहाँ प्राधिकृत श्रम अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(ब) जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ नहीं हैं				
		1. आयुक्त, नगर निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
2.2	विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र				
		(अ) जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ हैं वहाँ प्राधिकृत श्रम अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(ब) जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ नहीं हैं				
		1. आयुक्त, नगर निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
2.3	मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र				
		(अ) जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ हैं वहाँ प्राधिकृत श्रम अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(ब) जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ नहीं हैं				
		1. आयुक्त, नगर निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.4	निर्माण श्रमिकों का पंजीयन	<u>ग्रामीण क्षेत्र</u> मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		<u>शहरी क्षेत्र</u>				
		(अ) जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ हैं वहाँ प्राधिकृत श्रम अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(ब) जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ नहीं हैं				
		1. आयुक्त, नगर निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
2.5	निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना	<u>ग्रामीण क्षेत्र</u> मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		<u>शहरी क्षेत्र</u>				
		1. आयुक्त, नगर निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		2. नगरपालिका/ नगरपरिषद के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
2.6	दुकान संस्थान की स्थापना का पंजीयन	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
2.7	दुकान संस्थान की स्थापना के पंजीयन का नवीनीकरण	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	15 कार्य दिवस	कलेक्टर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

इकबाल सिंह बैस,
प्रमुख सचिव